भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1134

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

पारिवारिक मुकदमों की संख्या में वृद्धि

1134. श्री उज्जवल रमण सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पारिवारिक मामलों के निपटारे के लिए कितने पारिवारिक न्यायालय कार्यशील हैं;

(ख) क्या देश में कार्यशील पारिवारिक न्यायालयों में पारिवारिक मामलों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का लंबित पारिवारिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश में नए पारिवारिक न्यायालय खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 30.06.2025 तक संपूर्ण देश में 927 कुटुम्ब न्यायालय कार्यशील है । कार्यशील कुटुम्ब न्यायालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -वार संख्या **उपाबंध** पर दी गई है ।

(ख) : उच्च न्यायालयों से प्राप्त डाटा के अनुसार, वर्ष 2023 में कुटुम्ब न्यायालयों में संस्थित मामलों की संख्या 8,25,502 थी, जबकि वर्ष 2024 में इन न्यायालयों में 9,39,100 मामले संस्थित थे ।

(ग) से (घ) : कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 विवाह और कौटुम्बिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करता है ।

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1) (क) के अधीन, राज्य सरकारों के लिए, राज्य में किसी नगर या कस्बे के ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है । राज्यों में ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी, जिन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें आवश्यक समझें, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित कर सकेंगी ।

****

उपाबंध

30.06.2025 तक कार्यशील कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों का नाम	कार्यशील कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	16
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	7
5	बिहार	39
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	29
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0
9	दिल्ली	31
10	गोवा	0
11	गुजरात	123
12	हरियाणा	33
13	हिमाचल प्रदेश	3
14	जम्मू - कश्मीर	4
15	झारखंड	31
16	कर्नाटक	41
17	केरल	37
18	लद्दाख	2
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	64
21	महाराष्ट्र	51
22	मणिपुर	3
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	0
25	नागालैंड	2
26	ओडिशा	28
27	पुडुचेरी	2
28	पंजाब	37
29	राजस्थान	50
30	सिक्किम	6
31	तमिलनाडु	40
32	तेलंगाना	23
33	त्रिपुरा	9
34	उत्तर प्रदेश	189
35	उत्तराखंड	27
36	पश्चिमी बंगाल	6
	कुल	**927**

****